हिमाचल प्रदेश सरकार,
गृह विभाग

संख्याः गृह–बी (ए) 3–6/2007 तारीख : शिमला–2 14–10–.2011

अधिसूचना

हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, हिमाचल प्रदेश गृह रक्षा और नागरिक सुरक्षा विभाग में कम्पनी कमाण्डर/वरिष्ठ अनुदेशक / भण्डार अधिकारी /सैन्टर कमाण्डर वर्ग–**III** (अराजपत्रित), के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध–"क" के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाती हैं, अर्थातः-

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ । 1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश, गृह रक्षा और नागरिक सुरक्षा विभाग कम्पनी कमाण्डर/वरिष्ठ अनुदेशक / भण्डार अधिकारी /सैन्टर कमाण्डर , वर्ग– **III** (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2011 है ।

(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

निरसन और व्यावृतियां । 2. (1) अधिसूचना संख्या होम– **II** (बी)**2-3/81** तारीख 15 फरवरी, 1989 द्वारा अधिसूचित और समय–समय पर यथासशोधित हिमाचल प्रदेश गृह रक्षा एवं नागरिक सुरक्षा विभाग में कम्पनी कमाण्डर/वरिष्ठ अनुदेशक / भण्डार अधिकारी /सैन्टर कमाण्डर , के भर्ती और प्रोन्नति नियम, 1989 का एतद् द्वारा निरसन किया जाता है ।

.....2/

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपर्युक्त उप नियम 2(1) के अधीन इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन की गई कोई नियुक्ति, बात या कार्रवाई इन नियमों के अधीन विधिमान्य रूप में की गई, समझी जाएगी ।

आदेश द्वारा,

हस्ता/–

प्रधान सचिव (गृह),
हिमाचल प्रदेश सरकार ।

पृष्ठ संख्या गृह–बी (ए) 3–6/2007 तारीख शिमला 14–10– 2011
प्रतिलिपि निम्नलिखित को प्रेषित है :–

1 समस्त प्रशासनिक सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार ।
2 सचिव, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग को 2 कापियों के साथ प्रेषित है ।
3 महानिदेशक गृह रक्षा एंव नागरिक सुरक्षा हिमाचल प्रदेश शिमला –1 को 5 अतिरिक्त प्रतियों सहित।
4 नियंत्रक, मुद्रण एंव लेखन सामग्री विभाग, हिमाचल प्रदेश मुद्रणालय, शिमला–5 को हिमाचल प्रदेश राजपत्र में प्रकाशन करने हेतू , उनसे अनुरोध है कि प्रकाशित सामग्री की एक प्रति इस विभाग को भेजी जाए ।
5 उप–विधि परामर्शी एवं उप सचिव (विधि) हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला–2
5 (ए) वरिष्ठ विधि अधिकारी (राजभाषा–II) हि0प्र0 सचिवालय, शिमला–2,
6 गार्ड फाईल ।

–हस्ता–
अवर सचिव (गृह),
हिमाचल प्रदेश सरकार ।

उपाबन्ध –"क"

हिमाचल प्रदेश गृह रक्षा, नागरिक सुरक्षा विभाग में कम्पनी कमाण्डर/वरिष्ठ अनुदेशक/ भण्डार अधिकारी/सैन्टर कमान्डर के पद के लिए भर्ती और प्रोन्नति नियम ।

1.	पद का नाम :	कम्पनी कमाण्डर/वरिष्ठ **अनुदेशक** /भण्डार अधिकारी/सैन्टर कमान्डर ।
2.	पद(पदों) की संख्या :	20 (बीस पद) (कम्पनी कमाण्डर =15,वरिष्ठ अनुदेशक= 01 भण्डार अधिकारी= 01,सैन्टर कमान्डर =03)
3..	वर्गीकरण	वर्ग–III;(अराजपत्रित)(अलिपिकीय सेवा)
4.	वेतनमान	1. नियमित पदधारियों के लिए वेतनमान 10300–34800रूपये जमा 3800/–रूपयें ग्रेड पे । ii) संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों के लिए उपलब्धियां : स्तम्भ 15 –क मे दिए गए ब्यौरे के अनुसार 14100/–रूपयें प्रतिमास ।
5.	चयन पद अथवा अचयन पद	अचयन पद ।
6.	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु	18 से 45 वर्ष

परन्तु सीधे भर्ती के लिए उपरी आयु सीमा तदर्थ या संविदा पर नियुक्त किए गए पहले से ही सरकार की सेवा में नियुक्त अभ्यर्थियों को लागू नहीं होगी :

परन्तु यह और कि यदि तदर्थ एवम् संविदा के आधार पर नियुक्त किया गया अभ्यर्थी इस रूप में नियुक्ति की तारीख को अधिक आयु का हो गया हो, तो, वह तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्ति के कारण विहित आयु में छूट के लिए पात्र नहीं होगा ।

परन्तु यह और कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में उतनी ही छूट दी जा सकेगी जितनी कि हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेशों के अधीन अनुज्ञेय है :

परन्तु यह और भी कि पब्लिक सैक्टर/निगमों तथा स्वायत निकायों के सभी कर्मचारियों को जो ऐसे पब्लिक सैक्टर निगमों तथा स्वायत निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय ऐसे पब्लिक सैक्टरों निगमों/स्वायत निकायों में आमेलन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती में आयु की सीमा में ऐसी ही रियायत दी जाएगी जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है, किन्तु इस प्रकार की रियायत पब्लिक सैक्टर निगमों तथा स्वायत निकायों के ऐसे कर्मचारिवृन्द को नहीं दी जायेगी जो पश्चातवर्ती ऐसे निगमों/स्वायत निकायों द्वारा नियुक्त किए गए थे/ किए गए हैं और उनको पब्लिक सैक्टर, निगमों / स्वायत निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात ऐसे निगमों /स्वायत निकायों की सेवा में अन्तिम रूप से आमेलित किए गए हैं / किए गए थे :

1. सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जाएगी, जिसमें की पद (पदों) को, यथास्थिति, आवेदन आमन्त्रित करने के लिए विज्ञाप्ति किया गया है या नियोजनालयों को अधिसूचित किया गया है।
2. अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा और अनुभव हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाऐ चयन बोर्ड के विवेकानुसार शिथिल किया जा सकेगी ।

7.	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित न्युनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएं :	**<u>क अनिवार्य अर्हता</u>** (1) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविधालय/स्कूल शिक्षा बोर्ड से 10+2 की परीक्षा उतीर्ण की होनी चाहिए या इसके समतुल्य ।

		और भारतीय सेना से निर्मुक्त/सेवा निवृत अधिकारी जिसने लेफिटनेट का रैंक (सम्मानिक से अन्यथा) धारित करने सहित कमीशन अधिकारी के रूप मे कम से कम तीन वर्ष की सेवा की हो । अथवा गृह रक्षा सगंठन मे कम्पनी कमाण्डर का अवैतनिक रैकं धारित किया हो और इस रूप मे पिछले तीन वर्ष से लगातार सेवा की हो । अथवा नियमित रूप से सेवारत नागरिक सुरक्षा अनुदेशक/मुख्य अनुदेशक/ प्लाटून कमाण्डर/प्रशासनिक अधिकारी/सहायक भण्डार अधिकारी जो हिमाचल प्रदेश गृह रक्षा और नागरिक सुरक्षा विभाग मे इस रूप मे पिछले पांच वर्ष से सेवारत हो । 2. **वांछनीय अहर्ताए :** हिमाचल प्रदेश की रूढियों, रितियों और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता ।
8	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नति की दशा में लागू होगी या नहीं :	आयु लागू नहीं शैक्षिक योग्यता जैसा कि स्तम्भ संख्या 7(1) में दर्शाया गया है ।
9	परिविक्षा की अवधि, यदि कोई हो	दो वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए,जो एक वर्ष से अधिक न हो ,विस्तार किया जा सकेगा जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और लिखित कारणों से आदेश दे।
10	भर्ती की पद्वति : भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्वतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता	(क) साठ प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा । (ख) चालीस प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा, यथास्थिति, नियमित आधार पर या संविदा के आधार पर भर्ती द्वारा । सविंदा पर नियुक्त कर्मचारी स्तम्भ संख्या 15–क मे दी गई उपलब्धियां प्राप्त करेगें और उक्त स्तम्भ में विनिर्दिष्ठ सेवा शर्तो द्वारा विनियमित होगें ।
11	प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण की दशा में श्रैणियॉ जिनसे प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण किया जाएगा ।	नागरिक सुरक्षा अनुदेशकों /मुख्य अनुदेशक/ प्लाटून कमाण्डर/प्रशासनिक अधिकारी/सहायक भण्डार अधिकारियों मे से प्रोन्नति द्वारा जिनका कम से कम पाचं वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड मे की गई लगातार तदर्थ सेवा यदि कोई हो , को सम्मिलित करके पांच वर्ष का नियामित सेवाकाल हो । पदों को भरने के लिए निम्नलिखित 20 बिन्दु "पद धारित" रोस्टर का अनुसरण किया जाएगा :– 1. पहला पद – प्रोन्नति द्वारा 2. दूसरा पद– प्रोन्नति द्वारा 3. तीसरा पद – सीधी भर्ती द्वारा 4. चौथा पद – प्रोन्नति द्वारा 5. पांचवा पद – सीधी भर्ती द्वारा 6. छठा पद – प्रोन्नति द्वारा 7. सातवां पद – प्रोन्नति द्वारा 8. आठवा पद– सीधी भर्ती द्वारा

		9. नवां पद – प्रोन्नति द्वारा 10. दसवा पद – सीधी भर्ती द्वारा 11. ग्याहरवा पद – प्रोन्नति द्वारा 12. बाहरवा पद– प्रोन्नति द्वारा 13. तेहरवां पद– सीधी भर्ती द्वारा 14. चौहदवां पद – प्रोन्नति द्वारा 15. पन्द्रवां पद – सीधी भर्ती द्वारा 16. सोहलवां पद – प्रोन्नति द्वारा 17. सतारवां पद – प्रोन्नति द्वारा 18. अठारवां पद – सीधी भर्ती द्वारा 19. उन्नीसवां पद– प्रोन्नति द्वारा 20. वीसवां पद – सीधी भर्ती द्वारा रोस्टर प्रत्येक बीस बिन्दु के पश्चात् तब तक परिवर्तित होता रहेगा, जब तक कि प्रत्येक प्रवर्ग को दी गई प्रतिशतता तक प्रतिनिधित्व प्राप्त नही हो जाती है । तद्पश्चात रिक्ति को उसी प्रवर्ग से भरा जाएगा, जिससे पद रिक्त हुआ है।

परन्तु प्रोन्नति के प्रयोजन लिए प्रत्येक कर्मचारी को, जनजातीय/दुर्गम क्षेत्रों में पद (पदों) की ऐसे क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या की उपलब्धता के अध्यधीन, कम वह कम एक कार्यकाल तक सेवा करनी होगी :

परन्तु यह और कि उपर्युक्त परन्तुक उन कर्मचारियों के मामले में लागू नहीं होगा जिनकी अधिवर्षिता के लिए पांच वर्ष या उससे कम की सेवा शेष रही हो ;

परन्तु यह और भी कि उन अधिकारियों/ कर्मचारियों को, जिन्होंने जनजातीय/दुर्गम क्षेत्र में कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा नहीं की है, ऐसे क्षेत्र में उसके अपने संवर्ग (काडर) में सर्वथा वरिष्ठता के अनुसार स्थानान्तरित किया जाएगा ।

स्पष्टीकरण– 1:– उपर्युक्त परन्तुक के प्रयोजन के लिए जनजातीय/ दुर्गम क्षेत्रों में "कार्यकाल" से , साधारणतः तीन वर्ष की अवधि या प्रशासनिक अपेक्षाओं और कर्मचारी द्वारा किए गए कार्य को ध्यान में रखते हुए ऐसे क्षेत्रों में तैनाती की इससे कम अवधि अभिप्रेत होगी ।

स्पष्टीकरण–11:– उपर्युक्त परन्तुक के प्रयोजन के लिए जनजातीय/ दुर्गम क्षेत्र निम्न प्रकार से होगें :–

1. जिला लाहौल एवं स्पिति ।
2. चम्बा जिला का पांगी और भरमौर उप मण्डल ।
3. रोहडू उप मण्डल का डोडरा–क्वार क्षेत्र ।
4. जिला शिमला की रामपुर तहसील का पन्द्रह बीस परगना, मुनीष , दरकाली और ग्राम पंचायत काशापाठ ।
5. कुल्लू जिला का पन्द्रह बीस परगना ।
6. कांगडा जिला के बैजनाथ उप मण्डल का बडा भंगाल क्षेत्र ।
7. जिला किन्नौर ।

8. सिरमौर जिला में उप तहसील कमरऊ के काठवाड और कोरगा पटवार वृत्त रेणुकाजी तहसील के भलाड–भलौना तथा सांगना पटवार वृत्त और शिलाई तहसील का कोटा पाब पटवार वृत्त ।
9. मण्डी जिला में करसोग तहसील का खन्योल–बगडा पटवार वृत्त बालीचौकी उप तहसील के गाडा गोसाई, मठयानी,घनयाड, थाची, बागी, सोमगढ और खोलानाल, पद्वर तहसील के झारवाड, कुटगढ, ग्रामन, देवगढ, ट्रैला, रोपा, कथोग, सिल्ह–भडवानी , हस्तपुर, घमरेड और भटेड पटवार वृत्त थुनाग तहसील के चियूणी, कालीपर, पानगढ, थाच–बगडा, उत्तरी मगरू और दक्षिणी मगरू पटवार वृत्त और सुन्दरनगर तहसील का बटवाडा पटवार वृत्त ।

(1) प्रोन्नति के सभी मामलों में पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, प्रान्नति के लिए इन नियमों मे यथाविहित सेवाकाल के लिए, इस शर्त के अधीन रहते हुए गणना में ली जाएगी, कि सम्भरक प्रवर्ग मे तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति, भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात् की गई थीः

परन्तु उन सभी मामलों में जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरक पद में अपने कुल सेवा काल (तदर्थ आधार पर की गई तदर्थ सेवा सहित, जो नियमित सेवा / नियुक्ति के अनुसरण में हो) के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है, वहां अपने– अपने प्रवर्ग/ पद /काडर में उनसे वरिष्ठ सभी व्यक्ति विचार किए जाने के पात्र समझे जाएंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से ऊपर रखे जाएंगे :

परन्तु यह और कि उन सभी पदधारियों की, जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है, कम से कम तीन वर्ष न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा, जो भी कम हो, होगी :

परन्तु यह और भी कि जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहां उनसे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा / समझे जाएंगे ।

स्पष्टीकरणः–

अन्तिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है, जिसे डिमोबिलाइज्ड आर्मड फोर्सिस परसोनल (रिजर्वेशन आफ वेकैन्सीज इन दी हिमाचल स्टेट नान– टैक्नीकल सर्विसीज) रूल्ज, 1972 के नियम 3 के उपबंधों के अन्तर्गत भर्ती किया गया है और इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों या जिसे एक्स–सर्विसमैन (रिजर्वेशन आफ वेकैन्सीज इन दी हिमाचल प्रदेश टैक्नीकल सर्विसीज) रूल्ज, 1985 के नियम 3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो और इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों ।

(2) इसी प्रकार स्थाईकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो,

सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएंगी, यदि तदर्थ नियुक्ति / प्रोन्नति उचित चयन के पश्चात और भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार की गई थी :

परन्तु की गई उपर्युक्त तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात, जो स्थाई करण होगा, उसके फलस्वरूप पारस्पारिक वरीयता अपरिवर्रित रहेगी ।

12	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो, तो उसकी सरंचनाः	जैसी सरकार द्वारा समय– समय पर गठित की जाए ।
13	भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परर्मश किया जाऐगाः	जैसा कि विधि द्वारा अपेक्षित हो ।
14	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षा ।	किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का भारत का नागरिक होना अनिर्वाय है ।
15	सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन ।	सीधी भर्ती के मामले में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाऐगा, यदि यथास्थिति , हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती प्राधिकरण ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे तो लिखित परीक्षा या व्यवहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा जिसका स्तर/ पाठयक्रम आदि, यथास्थिति , आयोग या अन्य भर्ती प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किया जाएगा ।
15–क	संविदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयनः	इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी पद पर संविदा नियुक्तियां नीचे दिए गए निबन्धनों और शर्तो के अध्यधीन की जाएगी :–

(i) संकल्पनाः

(क) इस पॉलसी के अधीन महाआदेशक, गृह रक्षा / नागारिक सुरक्षा हिमाचल प्रदेश विभाग में कम्पनी कमाण्डर/ वरिष्ठ अनुदेशक/ भण्डार अधिकारी/ सैन्टर कमाण्डर को संविदा के आधार पर प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया जाएगा, जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर बढाया जा सकेगा :

परन्तु वर्षानुवर्ष आधार पर संविदा की अवधि में विस्तारण/ नवीकरण के लिए सम्बद्व विभागाध्यक्ष यह प्रमाण–पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण वर्ष के दौरान सन्तोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि का नवीकरण/ विस्तारण किया जाएगा ।

(ख) पद का हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड हमीरपुर के कार्यक्षेत्र में आनाः–

महाआदेशक, गृह रक्षा/ नागरिक सुरक्षा हिमाचल प्रदेश रिक्त पद (पदों) को संविदा के आधार पर भरने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् अध्यपेक्षा को सम्बद्व भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड, हमीरपुर के समक्ष रखेगा ।

(ग) चयन इन नियमों में विहित पात्रता शर्तो के अनुसार किया जाएगा।

(ii) **<u>संविदात्मक उपलब्धियां</u>**

संविदा के आधार पर नियुक्त कम्पनी कमाण्डर/ वरिष्ठ अनुदेशक/ भण्डार अधिकारी/ सैन्टर कमाण्डर को 14100/–रूपए की नियत समेकित संविदात्मक रकम (जो पे बैड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी । यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक की बढौतरी की जाती है तो पश्चात्वर्ती वर्ष/ वर्षो के लिए संविदात्मक उपलब्धियों में 430/– रूपए (पद के पे बैड जमा ग्रेड पे के न्यूनतम का तीन प्रतिशत) की रकम वार्षिक वृद्वि के रूप में अनुज्ञात की जाएगी ।

(iii) **<u>नियुक्ति/ अनुशासन प्राधिकारीः</u>**

महाआदेशक, गृह रक्षा/ नागरिक सुरक्षा हिमाचल प्रदेश नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकरी होगा ।

(iv) **चयन प्रक्रियाः**

संविदा नियुक्ति की दशा में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा या यदि, आवश्यक या समीचीन समझा जाए तो लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा जिसका स्तर/ पाठ्यक्रम, आदि सम्बद्व भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड, हमीरपुर, द्वारा अवधारित किया जाएगा ।

(v) **<u>संविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समितिः</u>**

जैसी सम्बद्व भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड, हमीरपुर द्वारा समय– समय पर गठित की जाए।

(vi) **<u>करारः</u>**

अभ्यर्थी को, चयन के पश्चात् इन नियमों से संलग्न उपाबंध– "ख" के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा ।

(vii) **<u>निबन्धन और शर्तेः</u>**

(क) संविदात्मक नियुक्त व्यक्ति को 14100/–रूपए की नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैंड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी । संविदा पर नियुक्त व्यक्ति आगे बढाए गए वर्ष/ वर्षो के लिए संविदात्मक रकम में 430/–रूपए (पद के पे बैंड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) की वार्षिक वृद्धि का हकदार होगा और अन्य कोई सहबद्व प्रसुविधाएं जैसे वरिष्ठ/ चयन वेतनमान आदि नहीं दिया जाएगा।

(ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थाई आधार पर होगी । यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/ आचरण ठीक नहीं पाया जाता है, तो नियुक्ति समाप्त किए जाने के लिए दायी होगी ।

(ग) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा । यह अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा । संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा । वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 इत्यादि के लिए हकदार नहीं होगा/होगी । केवल प्रसूति अवकाश, नियमानुसार दिया जाएगा ।

(घ) नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना सेवा से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जाएगा । संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्तव्य (ड्यूटी) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा ।

(ड) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति जिसने तैनाती के एक स्थान पर पांच वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है आवश्यकता के आधार पर स्थानांतरण हेतु पात्र होगा जहां भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो ।

(च) चयनित अभ्यर्थी को सरकारी / रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा । बारह सप्ताह से अधिक की गर्भवती महिला अभयर्थी प्रसव होने तक, अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त बनी रहेगी । उनका किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/ व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा ।

(छ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कर्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो तो वह उसी दर पर जैसी नियमित प्रतिस्थानी कर्मचारियों को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू हो, यात्रा भत्ते / दैनिक भत्ते का हकदार होगा । होगी ।

(ज) नियमित कर्मचारियों की दशा में यथा लागू सेवा नियमों के उपबन्ध, जैसे एफ0आर0 एस0 आर0, छुटटी नियम, साधारण भविष्य निधि नियम, पैन्शन नियम तथा आचरण नियम आदि संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों की दशा में लागू नहीं होगे । वे इस स्तम्भ में यथावर्णित उपलब्धियों आदि के लिये हकदार होंगे ।

		सरकार द्वारा समय समय पर अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जनजातियों / पिछडे वर्गो और अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए सेवाओं में आरक्षण की बाबत जारी किए गए आदेशों के अधीन होगी ।
17	विभागीय परीक्षा	लागू नहीं ।
18	शिथिल करने की शक्ति	जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि, ऐसा करना आवश्यक है या समीचीन है, वहां यह, कारणों को लिखित में अभिलिखित करके और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से आदेश द्वारा इन नियमों के किन्ही उपबन्धों को किसी वर्ग या व्यक्तियों के प्रर्वग या पदों की बाबत शिथिल कर सकेगी ।

.....

कम्पनी कमाण्डर/ वरिष्ठ अनुदेशक/ भण्डार अधिकारी/ सैन्टर कमाण्डर (पद का नाम) और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य महाआदेशक गृह रक्षा और नागरिक सुरक्षा हिमाचल प्रदेश (नियुक्ति प्राधिकारी का पदनाम) के माध्यम से निष्पादित की जाने वाली संविदा/ करार का प्ररूप ।

यह करार श्री/ श्रीमति.....पुत्र/ पुत्री श्री..... .....निवासी.....संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात् **"प्रथम पक्षकार "** कहा गया है) और हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल के मध्य महाआदेशक गृह रक्षा और नागरिक सुरक्षा हिमाचल प्रदेश (जिसे इसमें इसके पश्चात् **"द्वितीय पक्षकार"** कहा गया है) के माध्यम से आज तारीख..... .....को किया गया ।

"द्वितीय पक्षकार" ने उपरोक्त **प्रथम पक्षकार** को लगाया है और प्रथम पक्षकार ने कम्पनी कमाण्डर/ वरिष्ठ अनुदेशक/ भण्डार अधिकारी/ सैन्टर कमाण्डर (पद का नाम)के रूप में संविदा के आधार पर निम्नलिखित निबन्धन और शर्तो पर सेवा करने के लिए सहमति दी हैः–

1. यह कि प्रथम पक्षकार कम्पनी कमाण्डर/ वरिष्ठ अनुदेशक/ भण्डार अधिकारी/ सैन्टर कमाण्डर (पद का नाम) के रूप में .....से प्रारम्भ होने और .....को समाप्त होने वाले दिन तक एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा में रहेगा । यह विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनों पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा, आखिरी कार्य दिवस को अर्थात.....दिन को स्वयंमेव ही पर्यवसित (समाप्त) हो जाएगी तथा सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगा ।
2. प्रथम पक्षकार का सविदात्मक रकम.....रूप्ए प्रतिमास होगी ।
3. प्रथम पक्षकार की सेवा पूर्णतया अस्थाई आधार पर होगी । यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/ आचरण ठीक नहीं पाया जाता है या यदि नियमित पदधारी उस रिक्ति के विरूद्व नियुक्त/ तैनात कर दिया जाता है जिसके लिए प्रथम पक्षकार को संविदा पर लगाया गया है तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) की जाने के लिए दायी होगी ।
4. संविदा पर नियुक्त कम्पनी कमाण्डर/ वरिष्ठ अनुदेशक/ भण्डार अधिकारी/ सैन्टर कमाण्डर (पद का नाम) एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा । यह अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा । संविदा पर नियुक्त कम्पनी कमाण्डर/ वरिष्ठ अनुदेशक/ भण्डार अधिकारी/ सैन्टर कमाण्डर (पद का नाम) को किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा । वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा / होगी । केवल प्रसूति अवकाश , नियमानुसार दिया जाएगा ।
5. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, जिसने एक तैनाती के स्थान पर पांच वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण

हेतु पात्र होगा, जहां भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो ।

6. नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कर्त्तयों से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का प्र्यावसान (समापन) हो जाएगा । संविदा पर नियुक्त कम्पनी कमाण्डर/ वरिष्ठ अनुदेशक/ भण्डार अधिकारी/ सैन्टर कमाण्डर (पद का नाम) कर्त्तव्य (डियूटी) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा ।

7. चयनित अभयर्थी को सरकारी/ रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा । महिला अभ्यर्थियों की दशा में बारह सप्ताह से अधिक की गर्भावस्था प्रसव होने तक, उसे अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त बना देगी । उनका किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/ व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाना चाहिए ।

8. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कर्त्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो , तो वह उसी दर पर, जैसी प्रतिस्थानी कर्मचारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/ दैनिक भत्ते का हकदार होगा/ होगी ।

9. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति(यों) को कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना के साथ– साथ इ0पी0एफ0/ जी0पी0एफ0 भी लागू नही होगा ।

इसके साक्ष्यस्वरूप प्रथम पक्षकार और द्वितीय पक्षकार ने साक्षियों की उपस्थिति में इसमें सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख को अपने– अपने हस्ताक्षर कर दिए है ।

साक्षियों की उपस्थिति में:

1.....

.....

(नाम व पूरा पता)

2.....

.....

(नाम व पूरा पता)

(प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर)

साक्षियों की उपस्थिति में:

1.....

.....

(नाम व पूरा पता)

2.....

.....

(नाम व पूरा पता)

(द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर)

(Authoritative English text of this department's Notification No. Home-B(A)3-6/2007 dated 14.10.2011 as required under Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India.)

Government of Himachal Pradesh
Department of Home
***

No. Home-B(A)3-6/2007 Dated Shimla-2 the 14.10. 2011

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the Recruitment and Promotion Rules for the post of Company Commander/Senior Instructor/Store Officer/Centre Commander Class-III, (Non-Gazetted) in the Department of Home Guards\ and Civil Defence Himachal Pradesh, as per Annexure –"A" attached to this notification namely:-

Short title and commencement.	1	1) These Rules may be called the Himachal Pradesh Home Guards and Civil Defense Department, Company Commander/Senior Instructor/Store Officer/Centre Commander , Class-III (Non-Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2011. 2) These Rules shall come into force from date of publication in Rajpatra, Himachal Pradesh.
Repeal & Savings.	2	1) The Himachal Pradesh Home Guards and Civil Defence Department,Company Commander/ Senior Instructor/Store Officer/Centre Commander Class-III (Non-Gazetted) Recruitment and Promotion Rules 1989 notified vide notification No. Home-II(B)2-3/81 dated 15.2.1989 as amended from time to time are hereby repealed. 2) Notwithstanding such repeal any appointment made or any thing done or any action taken under the relevant rules, so repealed

under sub-rule, 2 (1) supra shall be deemed to have been validly made done or taken under these rules.

By Order

Sd/-
Pr. Secretary(Home) to the
Government of Himachal Pradesh.

No. Home- Home-B(A)3-6/2007 Dated Shimla-2, the 14.10. 2011
Copy forwarded to :-

1. All the Administrative Secretaries to the Government of Himachal Pradesh.
2. The Secretary, Himachal Pradesh Public Service Commission, Shimla-2 along with 2 spare copies.
3. The Director General, Home Guards, Civil Defence & Fire Services, Himachal Pradesh, Shimla-1 for information and necessary action with 5 spare copies.
4. The Controller, Printing & Stationery, Himachal Pradesh, Shimla-5 with the requested that the same may be publish in the Rajpatra and copy of the same be supplied to this department.
5. The Deputy Legal Remembrance-cum-Dy. Secy. (Law) to the Government of Himachal Pradesh, Shimla-2.
6. Guard file.

-Sd-

Under Secretary(Home) to the
Government of Himachal Pradesh.

ANNEXURE-A

RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF COMPANY COMMANDER/SENIOR INSTRUCTOR /STORE OFFICER/CENTER COMMANDER, NON-GAZETTED CLASS-III IN THE DEPARTMENT OF HOME GUARDS, CIVIL DEFENCE, HIMACHAL PRADESH.

1.	Name of the post:	Company Commander/Senior Instructor/Store Officer/Centre Commander
2.	Number of post(s):	20 (twenty) (Company Commander=I5, Senior Instructor=01, Store Officer=01, Center Commander=03).
3.	Classification:	Class-III (Non- Gazetted) (Non Ministerial).
4.	Scale of pay (be given in expanded notation:	i) Pay scale for regular incumbents Rs.. 10300-34800+Rs. 3800 Grade pay. ii) Emoulments for contract employees @ Rs.14100/- P.M /- as per details given in Col.15-A.
5.	Whether Selection post or non-selection post:	Non-Selection.
6.	Age for direct recruitment:	Between 18 and 45years.

Provided that the upper age limit for direct recruits will not be applicable to the candidates already in service of the Government including those who have been appointed on ad-hoc or on contract basis;

Provided further that if a candidate appointed on ad-hoc or contract basis had become overage on the date when he was appointed as such he shall not be eligible for any relaxation in the prescribed age limit by virtue of his such ad-hoc or contract appointment;

Provided further that upper age limit is relaxable for scheduled Castes/Scheduled Tribes/ Other categories of persons to the extent permissible under the general or special order(s) of the Himachal Pradesh Government;

Provided further that the employees of all the public Sector Corporations and Autonomous Bodies who happened to be Government Servants before absorption in Public Sector Corporations/Autonomous Bodies at the time of Initial constitutions of such Corporations/Autonomous Bodies shall be allowed age concession in direct recruitment as admissible to Government servants. This concession will not, however, be admissible to such staff of the Public Sector Corporations/Autonomous Bodies who were/are subsequently appointed by such Corporation/Autonomous Bodies

and who are/were finally absorbed in the service of such Corporations/Autonomous Bodies after initial constitution of the Public Sector Corporation/Autonomous Bodies:

(1) Age limit for direct recruitment will be reckoned from the first day of the year in which the post(s) is/are advertised for inviting applications or notified to the Employment Exchanges or as the case may be.

(2) Age and experience in the case of recruitment are relaxable at the discretion of the Himachal Pradesh Subordinate Service Selection Board in case of the candidate as otherwise well qualified.

7.	Minimum Educational qualification and other qualifications required for direct recruits:	**ESSENTIAL QUALIFICATION** (i) Should have passed Plus Two (10+2) Examination from a recognized University/Board of School Education or its equivalent. AND Should be a released/Retired Officer of the Indian Army who has held the rank of Lieutenant (other than Honorary) with atleast three years service as Commissioned officer. OR Should be holding honorary Rank of Company Commander in the Home Guards Organisation and continuous service as such for the last three years. OR Should be a serving regular Civil Defense Instructor/Chief Instructor/Platoon Commander/Administrative Officer/Assistant Store officer, who has been serving as such for the last five years in the H.P. Home Guards and Civil Defense Department. **DESIRABLE QUALIFICATION:** Knowledge of customs, manners and dialects of Himachal Pradesh and suitability for appointment in the peculiar condition prevailing in the Pradesh.
8.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of the promotees:	Age: Not applicable. Educational Qualitifaction: As shown in Col. 7(i).
9.	Period of probation, if any:	Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special

		circumstances and reasons to be recorded in writing.
10	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion, deputation, transfer and the percentage of posts to be filled in by various methods:	(a) 60% by promotion. (b) 40% by direct recruitment on a regular basis or by recruitment on contract basis, as the case may be. The contract employees will get emoluments as given in Col. 15-A and will be governed by service conditions as specified in the said column.
11	In case of recruitment by promotion, deputation, transfer, grade from which promotion/ transfer is to be made:	By promotion from amongst Civil Defense Instructors/ Chief Instructor/ Administrative Officer/Platoon Commanders/ Assistant Store Officers possessing atleast 5 years regular service or regular combined with continuous adhoc service rendered if any, in the grade. For filling up the posts the following 20 points "post" based roster shall be followed: 1st post - Promottee 2nd post - Promottee 3rd post - Direct recruitment 4th post - Promottee 5th post - Direct recruitment 6th post - Promottee 7th post - Promottee 8th post - Direct recruitment 9th post - Promottee 10th post - Direct recruitment 11st post - Promottee 12nd post -Promottee 13rd post -Direct recruitment 14th post -Promottee 15th post - Direct recruitment 16th post - Promottee 17th post - Promottee 18th post - Direct recruitment 19th post - Promottee 20th post - Direct recruitment Note :- The roster will be rotated after every 20th point till the representation to all the categories is achieved by the given percentage. Thereafter, the vacancy is to be filled up from the category which vacates the post. Proviso(I): Provided that for the purpose of promotion every employee shall have to serve atleast one term in the Tribal/Difficult areas subject to adequate number of post(s) available in such areas: Provided further that the proviso (I) supra shall not be applicable in the case of those employees who have five years or less service, left for superannuation. Provided further that Officers/Officials

		who have not served atleast one tenure in Tribal/difficult area shall be transferred to such area strictly in accordance with his/her seniority in the respective cadre. **Explanation I:-**For the purpose of proviso (I) supra the "term" in Tribal/Difficult areas shall mean normally three years or less period of posting in such areas keeping in view the administrative requirements and performance of the employee. **Explanation II:-** For the purpose of proviso(I) supra the Tribal/Difficult Areas shall be as under:- 1. District Lahaul & Spiti. 2. Pangi and Bharmour Sub Division of Chamba District. 3. Dodra Kawar Area of Rohru Sub-Division. 4. Pandrah Bis Pargana, Munish Darkali and Gram panchayat Kashapat, Gram Panchayats of Rampur Tehsil of District Shimla. 5. Pandrah Bis Pargana of Kullu District. 6.Bara Bhangal Areas of Baijnath Sub Division of Kangra District. 7. District Kinnaur. 8. Kathwar and Korga Patwar Circles of Kamrau Sub Tehsil, Bhaladh Bhalona and Sangna Patwar Circles of Renukaji Tehsil and Kota Pab Patwar Circle of Shillai Tehsil, in Sirmour District. 9. Khanyol-Bagra Patwar Circle of Karsog Tehsil, Gada-Gussaini, Mathyani, Ghanyar, Thachi, Baggi, Somgad and Kholanal of Bali-Chowki Sub Tehsil, Jharwar, Kutgarh, Graman, Devgarh, Trailla, Ropa, Kathog, Silh-Badhwani, Hastpur, Ghamrehar and Bhatehar Patwar Circle of Padhar Tehsil, Chiuni, Kalipar, Mangarh, Thach-Bagra, North Magru and South Magru Patwar Circles of Thunag Tehsil and Batwara Patwar Circle of Sunder Nagar Tehsil in Mandi District. (1): In all cases of promotion, the continuous adhoc service rendered in the feeder post if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these Rules for promotion subject to the conditions that the adhoc appointment/promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provisions of R & P Rules;

		(i) Provided that in all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his total length of service (including the service rendered on adhoc basis followed by regular service/ appointment) in the feeder post in view of the provisions referred to above, all persons senior to him in the respective category/post/cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration; Provided further that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of at least three years or that prescribed in the Recruitment & Promotion Rules for the post, whichever is less ; Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the preceding provisio, the persons(s) junior to him shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion. **Explanation** - The last proviso shall not render the junior incumbents ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible person happened to be ex-serviceman recruited under the provisions of Rule-3 of Demobilized Armed Forces Personnel (Reservation of Vacancies in Himachal State Non-Technical Services) Rules, 1972 and having been given the benefit of seniority thereunder or recruited under the provisions of Rules-3 of Ex-Servicemen (Reservation of vacancies in the Himachal Pradesh Technical Service) Rules, 1985 and having been given the benefit of seniority thereunder. (2) Similarly, in all cases of confirmation, continuous adhoc service rendered on the feeder post if any, prior to the regular appointment against such posts shall be taken into account towards the length of service, if the adhoc appointment/ promotion had been made after proper selection and in accordance with the provision of the Recruitment & Promotion Rules; Provided that inter-se-seniority as a result of confirmation after taking into account,

		adhoc service rendered as referred to above shall remain unchanged.
12.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition:	As may be constituted by the Government from time to time.
13.	Circumstances under which the H.P.P.S.C. is to be consulted in making recruitment:	As required under the law.
14.	Essential requirements for a direct recruitment.	A candidate for appointment to any service or post must be citizen of India.
15.	Selection for appointment to post by direct recruitment.	Selection for appointment to the post in the case of direct recruitment shall be made on the basis of viva-voce test, if the Himachal Pradesh Public Service Commission or other recruiting authority, as the case may be, so consider necessary or expedient, by a written test or practical test, the standard/syllabus etc. of which, will be determined by the commission/ other recruiting authority as the case may be.
15-A	Selection for appointment to the post by contract appointment (NEW PROVISION)	Notwithstanding anything contained in these rules, contract appointments to the post will be made subject to the terms and conditions given below:- **(1) CONCEPT** (a) Under this policy the Company Commander/Senior Instructor/Store Officer/Centre Commander in the Department of Commandant General Home Guard/ Civil Defence Himachal Pradesh will be engaged on contract basis initially for one year, which may be extendable on year to year basis. Provided that for extention /renewal of contract period on year to year basis the concerned HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee is satisfactory during the year and only then his period of contract is to be renewed/ extended. (b) **POST FALLS WITHIN THE PURVIEW OF H.P. SUBORDINATE SERVICES SELECTION BOARD, HAMIRPUR**: The Commandant General Home Guard/Civil Defence Himachal Pradesh after obtaining the approval of the Government to fill up the vacant posts on contract basis will place the requisition with the concerned recruiting agency i.e. H.P. Subordinate Services selection

		Board, Hamirpur. (c) The selection will be made in accordance with the eligibility conditions prescribed in these Rules (II)**CONTRACTUAL EMOLUMENTS:** The Company Commander/ Senior Instructor/Store Officer/Centre Commander appointed on contract basis will be paid consolidated fixed contractual amount @ Rs.14100/- P.M. (which shall be equal to minimum of the pay band +grade pay). An amount of Rs. 430/-(3 % of the minimum of the pay band + grade pay) as annual increase in contractual emoluments for the subsequent year(s) will be allowed if contract is extended beyond one year. (III)**APPOINTING/DISCIPLINARY AUTHORITY:** The Commandant General Home Guards/Civil Defence, Himachal Pradesh will be appointing and disciplinary authority. (IV) **SELECTION PROCESS:** Selection for appointment to the post in the case of Contract Appointment will be made on the basis of viva-voce test or if consider necessary or expedient by a written test or practical test the standard/ syllabus etc. of which will be determined by the concerned recruiting agency i.e. H.P. Subordinate Services Selection Board, Hamirpur. (V)**COMMITTEE FOR SELECTION OF CONTRACTUAL APPOINTMENTS:** As may be constituted by the concerned recruiting agency i.e. the H.P Subordinate Services Selection Board, Hamirpur from time to time. (VI) **AGREEMENT:** After selection of a candidate, he/she shall sign an agreement as per Annexure-'B' appended to these Rules. (VII) **TERMS AND CONDITIONS:** (a)The contractual appointee will be paid fixed contractual amount @ Rs. 14100/- P.M/- (which shall be equal to minimum of the pay band +grade pay). The contract

		Appointee will be entitled for increase in contractual amount @ Rs. 430/- (3 % of the minimum of pay band + grade pay) for further extended years and no other allied benefits such as senior/selection scales etc, shall be given. (b) The service of the Contract Appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found satisfactory. (c) Contractual appointee will be entitled for one day casual leave after putting one month service. This leave can be accumulated up to one year. No leave of any other kind is admissible to the contract appointee. He/She shall not be entitled for Medical Re-imbursement and LTC etc. Only maternity leave will be given as per rules. (d) Unauthorized absence from duty without approval of the controlling officer shall automatically lead to the termination of the contract. Contract appointee shall not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty. (e) An official appointed on contract basis who has completed five years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need basis wherever required on administrative grounds. (f) Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/ Registered Medical Practitioner. Women candidates pregnant beyond 12 weeks will stand rendered temporarily unfit till the confinement is over. They will subsequently be re-examined for the fitness from an authorized Medical Officer/ Practitioner. (g) Contract appointee will be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular officials at the minimum of the pay scale. (h) Provisions of service rules like FR SR, Leave Rules, GPF Rules, Pension rules & Conduct rules etc. as are applicable in case of regular employees will not be applicable in case of contract appointees. They will be entitled for emoluments etc. as detailed in this Column.

16.	Reservation:	The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes/ Scheduled Tribes/ Other Backward Classes/ Other categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.
17	Departmental Examination	Not applicable.
18.	Power to relax:	Where the State Govt. is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the H.P.Public Service Commission , relax any of the provisions of these Rules with respect to any class or category of persons or posts.

****

ANNEXURE-'B '

FORM OF CONTRACT/ AGREEMENT TO BE EXECUTED BETWEEN THE COMPANY COMMANDER/SENIOR INSTRUCTOR / STORE OFFICER/CENTER COMMANDER AND THE GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH, THROUGH THE COMMANDANT GENERAL, HOME GUARDS AND CIVIL DEFENCE HIMACHAL PRADESH.

This agreement is made on this …….day of …… … …. In the year……..Between …… …… …… . .Sh./Smt……..S/o/D/o Shri…….. R/O… …… …… …… ……...Contract appointee (hereinafter called the "FIRST PARTY") AND THE GOVERNOR, HIMACHAL PRADESH, THROUGH THE COMMANDANT GENERAL, HOME GUARDS AND CIVIL DEFENCE HIMACHAL PRADESH, SHIMLA (here-in-after the "SECOND PARTY").

Whereas, the SECOND PARTY has engaged the "FIRST PARTY" and the "FIRST PARTY" has agreed to serve as a Company Commander/Senior Instructor/Store Officer/Centre Commander on contract basis on the following terms and conditions:-

1 That the "FIRST PARTY" shall remain in the service of the "SECOND PARTY" as a Company Commander/Senior Instructor/Store Officer/Centre Commander for a period of 1 year commencing on day of …….and ending on the day of ……It is specifically mentioned and agreed upon by both the parties that the contract of the FIRST PARTY with SECOND PARTY shall ipso-facto stand terminated on the last working day i.e. on …….And information/ notice shall not be necessary.

Provided that for- further extention /renewal of contract period the HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee was satisfactory during the year and only then the period of contract is to be renewed/ extended.

2. The contractual amount of the "FIRST PARTY" will be Rs…….per month.

3. The service of "FIRST PARTY" will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/ conduct of the contract appointee is not found good or if a regular incumbent is appointed/ posted against the vacancy for which the first party was engaged on contract.

4. Contractual Company Commander/Senior Instructor/Store Officer/Centre Commander will be entitled for one day casual leave after putting in one month service. This leave can be accumulated upto one year. No

leave of any kind is admissible to the contractual Company Commander/Senior Instructor/Store Officer/Centre Commander**.** He will not be entitled for Medical Reimbursement and LTC etc. Only maternity leave will be given as per Rules.

5. Unauthorized absence from the duty without approval of the controlling officer shall automatically lead to the termination of the contract. A contractual Company Commander/Senior Instructor/Store Officer/Centre Commander will not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty.

6. An official appointed on contract basis who has completed five years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need basis wherever required on administrative grounds.

7. Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/ Registered Medical Practitioner. Women candidates pregnant beyond twelve weeks will stand rendered temporarily unfit till the confinement is over. They would then be re-examined for fitness from an authorized Medical Officer/ Practitioner.

8. Contract appointee shall be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular counter-part official at the minimum of pay scale.

9. The Employees Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF will not be applicable to contractual appointee(s).

IN WITNESS THE FIRST PARTY AND SECOND PARTY have here in to set their hands the day month and year first, above written.

IN THE PRESENCE OF WITNESS:

1._____

_____ (Signature of the FIRST PARTY)

(Name and full Address)

2._____

_____

(Name and full Address)

IN THE PRESENCE OF WITNESS (Signatureof the SECOND PARTY)

1._____

_____

(Name and full Address)

2. _____

_____

_____

(Name and full Address)

******